न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 233/2015

1 पुरूषोतम उम्र 65 वर्ष पुत्र हनुमान।
2 सुरेश उम्र 63 वर्ष पुत्र हनुमान समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राधेश्याम उम्र 72 वर्ष पुत्र बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रू।
2 सत्यनारायण उम्र 70 वर्ष पुत्र बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रू।
3 कैलाशचन्द उम्र 65 वर्ष पुत्र बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रू।
4 बालूराम उम्र 75 वर्ष पुत्र हनुमान।
5 सुशील उम्र 75 वर्ष पुत्र हनुमान समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावटी जिला सीकर।
6 तहसीलदार फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
7 अतिरिक्त तहसीलदार एवं उप पंजीयक रामगढ़ शेखावाटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
8 पटवारी पटवार हल्का ताखलसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
9 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील निर्णय एवं प्ररम्भिक डिक्री दिनांकित
20.10.2015 मुकदमा नम्बर 63/2013 बनवानी
राधेश्याम आदि बनाम बालुराम आदि न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनुपमा कायल आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 31.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा संख्या 63/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 20.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3/वादीगण ने एक वाद अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट नम्बर 4 ता 9 (प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8) के विरूद्व एक वाद विचारण न्यायालय में इनत थ्यों के साथ पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 38/194 रकबा 3.82 हैक्टेयर ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर में अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान वाद पत्र की मद नम्बर 2 के अनुसार है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 की पुश्तैनी वंशानुगत कृषि भूमि जिसमें वादी नम्बर 1 का 1/8 हिस्सा, वादी के अन्य तीन भाई का 1/8 हिस्सा, वादी नम्बर 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा इसी प्रकार इनका भौतिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। वादीगण के उक्त 1/2 हिस्सा की खातदारी पूर्वज बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रू के नाम थी जिसे बिना किसी हक अधिकार के व बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के विधिक विरूद्व तरीके से सम्पूर्ण रकबे का पता प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम गलत व अवैध तरीके से हो गया जो वादीगण के हक, अधिकारों के समक्ष अकृत, शून्य व प्रभावहीन है। प्रतिवादीगण को वादीगण अपने कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल देने, दिलाने से उक्त भूमि का अथवा अन्यथा अन्तरण करने व करवाने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंति करवाने के अधिकारी है इसलिए उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने वाद व जवाबदावा के आधार पर छः तनकीयां कायम की किन्तु अदालत मातहत ने उक्त छः तनकीयात का कोई निर्णय नहीं किया जबकि सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि न्यायालय उन सभी तनकीयों पर अपनी फाईडिंग देगा जो वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक है। न्यायालय को प्रत्येक तनकी का अलग से निस्तारण करना आवश्यक होता है। किन्तु अदालत मातहत ने उक्त वर्णित तनकीयों पर कोई अपना निष्कर्ष न देकर बिना तनकीयों के ही वाद का निस्तारण कर दिया एवं चुनौतीग्रस्त निर्णय डिक्री पारित कर दिया जो निर्णय कानूनन निर्णय की परिधि में नहीं आता है। विचारण न्यायालय ने वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई विश्लेषण अपने निर्णय में नहीं किया तथा न ही साक्ष्य का अंकन किया। विचारण न्यायालय ने इस बात पर भी कोई गौर नहीं किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार की है तथा वादीगण का या इनके पूर्वजों का कभी भी नही पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कब्जा काश्त नहीं रहा किन्तु फिर भी अदालत मातहत ने वादीगण को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करने का आदेश दे दिया जो आदेश विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 1986 पेज 430 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी संवत 2058–61 वाके ग्राम रूकनसर के खसरा नम्बर 38/194 रकबा 3.82 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 बालुराम पुत्र हनुमान के नाम दर्ज है जबकि जमाबंदी संवत 2013–16 में खातेदारी बद्रू पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2 व बालूराम पुरूषोतम सुशील सुरेश पिता हनुमाना हिस्सा 1/2 बराबर अंकित है। नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 28.03.1960 से खातेदारी धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बालु पुत्र हनुमाना ब्राहमण के नाम दर्ज हो गई। खसरा गिरदावरी संवत 2011 वाके ग्राम रूकनसर में उक्त कृषि भूमि में कृषक के कॉलम में बदरू व हनुमान पिता रामनाथ बिरहमन सा. रामगढ़ तथा काश्त बदरी वलद रामनाथ व बालु वलद हणमान अंकित है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2015 व संवत 2014 में भी बदरू वलद रामनाथ हिस्सा 1/2 व बालुराम पुरूषोतम सुशील सुरेश पिता हनुमाना हिस्सा 1/2 कृषक के कॉलम में दर्ज है। इस आधार पर वादीगण के पूर्वज बदरू पुत्र रामनाथ का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 38/194 के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार होना व खसरा गिरदावरी से काबिज काश्त होने की पुष्टि होती है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नकल जमाबंदी संवत 2058–61 वाके ग्राम रूकनसर के खसरा नम्बर 38/194 रकबा 3.82 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 बालुराम पुत्र हनुमान के नाम दर्ज है जबकि जमाबंदी संवत 2013–16 में खातेदारी बद्रू पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2 व बालूराम पुरूषोतम सुशील सुरेश पिता हनुमाना हिस्सा 1/2 बराबर अंकित है। नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 28.03.1960 से खातेदारी धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बालु पुत्र हनुमाना ब्राहमण के नाम दर्ज हो गई। खसरा गिरदावरी संवत 2011 वाके ग्राम रूकनसर में उक्त कृषि भूमि में कृषक के कॉलम में बदरू व हनुमान पिता रामनाथ बिरहमन सा. रामगढ़ तथा काश्त बदरी वलद रामनाथ व बालु वलद हणमान अंकित है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2015 व संवत 2014 में भी बदरू वलद रामनाथ हिस्सा 1/2 व बालुराम पुरूषोतम सुशील सुरेश पिता हनुमाना हिस्सा 1/2 कृषक के कॉलम में दर्ज है। इस आधार पर वादीगण के पूर्वज बदरू पुत्र रामनाथ का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 38/194 के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार होना व खसरा गिरदावरी से काबिज काश्त होने की पुष्टि होती है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का समग्र विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही की है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर